UPAL040826892026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

आदेश

जमानत आवेदन सं०– 1604/2026
CNR No– UPAL040826892026
Filling No– 82674/2026
23.06.2026:–

अभियुक्त सोनू उर्फ सोनपाल पुत्र स्व० नन्नूमल की ओर से मु०अ०सं०– 246/2026, अन्तर्गत धारा– 338, 336(3), 340(2), 329(3), 351(2) भा०न्या०सं० थाना बन्नादेवी जिला अलीगढ़ के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक– 19.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसको उक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त दौरान मुकदमा अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा के प्लाटों का फर्जी तरीके से बैनामा कराने के आरोप हैं। अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में दिनांक– 19.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त पर आरोपित आरोप गैर जमानतीय हैं तथा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय हैं।

उक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने का कोई आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अशोक कुमार सिंह–IX)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलीगढ़।
JO Code UP1989